उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या-634/2025/1955/41-1-2025-CN-1789559-2024
लखनऊ:दिनांक: 10 जुलाई,2025

शुद्धि-पत्र

मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत जनपद-फिरोजाबाद के नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर स्ट्रीट लाईट एवं आपूर्ति/अधिष्ठान का कार्यके सम्बन्ध में पर्यटन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-614/2025/1864/41-1-2025-001-CN-1789559-2024, दिनांक 02जुलाई, 2025 केप्रस्तर-3 में उपाध्यक्ष, शिकोहाबाद-फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण के स्थान पर नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद तथा प्रतिलिपि के क्रमांक-6 पर उपाध्यक्ष, शिकोहाबाद-फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद के स्थान पर नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबादएतद्द्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 02 जुलाई,2025 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. अपर आयुक्त (ग्रेड-I), वाणिज्य कर विभाग, आगरा मण्डल, आगरा।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA), लखनऊ।
9. निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
12. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, आगरा।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
14. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।